



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243969
CG-DL-E-01032023-243969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]
No. 115]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 139(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियों) नियम, 2019 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335 (अ.), तारीख 29 अप्रैल, 2019, के अधीन तत्कालीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, के तीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

और ये नियम प्रकाशन से पहले रिट या. (सि.) 9056/2016 और अन्य संबंधित मामलों में 10 अप्रैल, 2019 के निर्देशों के अनुसार 24 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके विचार के लिए रखे गए थे;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में तारीख 17 नवंबर, 2022 के अपने आदेश द्वारा भारत सरकार को नियमों को अधिसूचित करने की स्वतंत्रता दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता (अंडे देने वाली मुर्गियाँ) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य - इन नियमों के अंतर्गत गैलस गैलस डोमेस्टिकस प्रजातियों की वाणिज्यिक चूजों या मुर्गियों के लिए अंडे के उत्पादन हेतु परम्परागत आश्रय घेरों, जिन्हें पहले बैटरी पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था, में रखी गई अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों के लिए स्थान की अपेक्षा को स्पष्ट करने हेतु उनके लिए स्थान उपलब्ध कराने का समाधान किया गया है।

3. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो, -

- (i) 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
- (ii) 'परम्परागत आश्रय घेरों', (जिन्हें पूर्व में बैटरी या कैलीफोर्निया पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था) से ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका विस्तार अलग-अलग हो सकता है तथा जिसमें अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित स्थान के अनुरूप होगी ताकि उनके प्रति क्रूरता का निवारण हो सके।
- (iii) 'पर्यावरणीय स्थिति' से वह स्थान अभिप्रेत है जहां मुर्गी पालन किया जा रहा है।
- (iv) 'फार्म' से वह भूमि, भवन, सहायक सुविधाओं और अन्य उपकरणों से अभिप्रेत है, जिन्हें अंडों के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से उपयोग में लाये जाते हैं, परन्तु फार्म परिसर रजिस्ट्रीकरण प्रयोजनार्थ के लिए सन्निहित प्रकृति के होने चाहिए।
- (v) 'फार्म का स्वामी' अथवा 'फार्म संचालक' से किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा व्यवसायी अथवा कृषक संगठनों अथवा समिति अभिप्रेत है जो फार्म के स्वामी हैं अथवा उसके संचालन को नियंत्रित करते हैं और इनमें व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिनके ओर से फार्म संचालित किया जा रहा है।
- (vi) 'अंडे देने वाली मुर्गियाँ' मानव उपभोग और अन्य उपयोग हेतु अंडों के वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए रखी गई गैलस गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति की यौन परिपक्व मादा पक्षी अभिप्रेत है।
- (vii) 'लेयर पुलेट्स' से अंडे देने से यौन परिपक्वता होने तक वाणिज्यिक रूप से लेयर उत्पादन प्रयोजनों के लिए संवर्धन की गई गैलस गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति की मादा पक्षी अभिप्रेत है।
- (viii) 'रजिस्ट्रीकरणकर्ता प्राधिकरण' से राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के पशु पालन विभाग अभिप्रेत है जहां मुर्गी पालन फार्म स्थापित किया गया है।
- (ix) "पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु समिति (एसपीसीए)" से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए समितियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के नियम 2 के खण्ड (ड.) में यथापरिभाषित समिति अभिप्रेत है (26 मार्च, 2001 के का.आ. 271(अ.) द्वारा अधिसूचित)।
- (x) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित किए गए राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।
- (xi) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 2 के खंड (छ) में यथा पारिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।
- (xii) 'डब्ल्यूओएएच'- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच), 181 सदस्य देशों सहित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिन्होंने विश्व भर में पशु-स्वास्थ्य में सुधार करने और कल्याण करने के लिए इसे अधिदेश दिया है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. नियमों का लागू होना - ये नियम उन फार्मों पर लागू होंगे, जहां कॉलोनी के बाड़ों में अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है।

5. फार्मों का रजिस्ट्रीकरण - (1) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरणकर्ता प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रति फार्म मुर्गियों और/अथवा चूजों की ऐसी संख्या रख रहे फार्मों का स्वामित्व रखने वाले अथवा फार्मों का प्रभार रख रहे व्यक्ति अथवा हस्तियां, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के पशु पालन विभाग से अपने फार्मों को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए आवेदन करेंगे।

(2) राज्य का पशु पालन विभाग रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वह इन नियमों के उचित क्रियान्वयन के लिए उचित समझें।

(3) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र में फार्म की रूपरेखा, पशु पालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा उपबंधित जैव-सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं और नियम के अधीन अपेक्षित अन्य सुसंगत सूचना होंगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, नियमानुसार होने के संबंध में समाधान होने पर फार्म का रजिस्ट्रीकरण करेगा और एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा तथा फार्म का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति विद्यमान-प्रमाण-पत्र के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक आवेदन पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को आवेदन करके इस प्रमाण-पत्र का समय-समय पर नवीकरण करा सकेगा।

(6) प्रत्येक फार्म जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले ही प्रचालन में है इनके प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर स्वयं को संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के पशु पालन विभाग में रजिस्ट्रीकृत कराएगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को फार्म में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6. मुर्गी पालन फार्म के स्वामी या फार्म प्रचालक का उत्तर दायित्व:- (1) फार्म या कंपनी या सोसाइटी या संगठन का स्वामी या प्रचालक अंडा देने वाली मुर्गियों के कल्याण के लिए दी गई पर्यावरणीय शर्तों के अनुसार इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यदि संविदाकार तथा किसानों के बीच कोई ऐसी संविदा है जिसके अधीन मुर्गी पालन फार्म हेतु, फार्म के स्वामी के लिए निवेश संविदाकार द्वारा किया जाना है तो फार्म का स्वामी और संविदाकार दोनों ही इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) यदि फार्म पर सरकार का स्वामित्व है तो इन नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रधान का होगा।

7. निरीक्षण का प्राधिकार दिए जाने की शक्ति.- पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु, राज्य या संघराज्य क्षेत्र का पशु पालन विभाग या बोर्ड या राज्य बोर्ड या जिला सोसाइटी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को किसी फार्म का निरीक्षण करने और ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और उपयुक्त स्तर के अधिकारी-

(i) किसी उपयुक्त समय पर फार्म में प्रवेश कर सकते हैं और फार्म का निरीक्षण कर सकते हैं; किसी व्यक्ति से रजिस्ट्रीकृत फार्म के संबंध में उसके द्वारा रखे गए फार्म रूपरेखा रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं।

(ii) निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकारी अधिकारी उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉलों और नियमों का पालन करेगा।

- (iii) कोई भी निरीक्षक, संक्रमण का निवारण करने के लिए जैव-सुरक्षा सरोकारों के अधीन किसी फ़ार्म का निरीक्षण, बहुत्तर घंटे की अवधि के भीतर एक से अधिक बार नहीं करेगा और जैव सुरक्षा प्रोटोकॉलों को सुनिश्चित करने के लिए उसे अपने सभी निरीक्षणों का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

8. अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए स्थान प्रबंधन

सभी नए फ़ार्मों या पुराने पिंजरों के प्रतिस्थापन (जिस भी नाम से पुकारें) के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात:-

- (i) प्रत्येक पक्षी के लिए फर्श का स्थान पांच सौ पचास वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और
- (ii) प्रत्येक घेरों में प्राधिमानतः कम से कम 6 से 8 पक्षी रखे जाने चाहिए और इस प्रकार अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए अंडे देने, खड़े होने, पंख फड़-फड़ाने, आसपास घूमने और चारे तथा पानी तक पहुंचने के लिए उचित स्थान को सुनिश्चित किया जाएगा।

9. स्थान उपलब्धता के रिकॉर्डों का रखा जाना :

- (1) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम आवासन घनत्व सीमा से अधिक न हो और मुर्गियों के लिए उपलब्ध कुल फर्श क्षेत्र; स्थान उपलब्धता; और आवास के भीतर रखे जाने वाले पक्षियों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।
- (2) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक उपलब्ध पक्षियों की संख्या, दैनिक मौतों और मारे गए पक्षियों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।
- (3) ये रिकॉर्ड विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, स्पष्टीकरण "निर्धारित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

10. चारे के संबंध में प्रतिषेध : अण्डे देने वाली मुर्गियों के चारे के संबंध में निम्नलिखित प्रतिषेधित होगा: -

- (i) मुर्गियों को मरे हुए चूजों के अवशेषों के साथ चारा देना प्रतिषेधित होगा।
- (ii) विकास को बढ़ाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं का प्रयोग प्रतिषेधित होगा।
- (iii) एंटी-माइक्रोबियल दवाओं को चिकित्सीय प्रयोजनों (रोग के उपचार) के लिए और किसी पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन ही दिया जाएगा।
- (iv) रोआँ गिराने के लिए चारा न दिया जाना प्रतिषेधित होगा।

11. पशुचिकित्सीय देखभाल: -

- i. फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक आवासन के दौरान और आपातकालीन पशुचिकित्सीय देखभाल की स्थिति में पर्याप्त प्रबंधन और पशुचिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त जनशक्ति, जिसमें पंजीकृत पशु चिकित्सक सम्मिलित है, को नियोजित करेगा।
- ii. आपात स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क के लिए संपर्क ब्यौरे किसी सहज-दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाने चाहिए।

12. नर चूजों की सुख मृत्यु:- अंडज उत्पत्तिशाला (हैचरी) नर चूजों की सुख मृत्यु के लिए डब्ल्यूओएएच के दिशानिर्देशों में विहित किसी क्रियाविधि का उपयोग करेगी।

13. प्रजनन अशक्त मुर्गियों का निस्तारण: फ़ार्म, प्रजनन अशक्त मुर्गियों को विशेष रूप से अनुज्ञप्ति धारक बूचड़खानों या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को बेचेगा तथा प्रजनन अशक्त मुर्गियों को लाना, ले जाना और उनका वध लागू नियमों के अनुसार होगा।

14. **रजिस्ट्रीकरण रद्द करना** : यदि किसी मुर्गी पालन फ़ार्म का रखरखाव, इन नियमों के अधीन आवश्यक तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी लिखित में कारण बताओ नोटिस देने के बाद और तीस दिनों की अवधि के भीतर व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अवसर देते हुए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।
15. **रजिस्ट्रीकरण का निरसन** : यदि फ़ार्म, निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुपालन करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द न करने पर विचार किया जाएगा।
16. **अपील** : किसी भी फ़ार्म के रजिस्ट्रीकरणसे इनकार या रद्द करने के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को अपील कर सकता है।
17. **शास्तियां** : यदि कोई फ़ार्म का स्वामी या फ़ार्म का प्रभारी, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन यथा निर्धारित जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा तथा जब उल्लंघन एक इकाई द्वारा किया जाता है, तो प्रभारी व्यक्ति और फ़ार्म पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंडनीय होगा।
18. **प्रवर्तन समय** : (1) राज्य सरकारें इन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपबंधों को 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पहले अधिसूचित करेंगी एवं ऐसे राज्य इसे तुरंत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।
- (2) विद्यमान फ़ार्म, 01 जनवरी, 2029 तक या उससे पहले नए पशु कल्याण दिशानिर्देशों को अपनायेंगे।

[फा.सं.आर-99014/13/2019-एएनएलएम_डीएडीएफ]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव